

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री महेन्द्र कुमार गोस्वामी पुत्र कन्हैयालाल गोस्वामी, निवासी- 103, धाकड बस्ती कचारा, तहसील अटरु जिला बारां राजस्थान- 325218

(ऋणी)

2. कन्हैयालाल पुत्र श्री किशन, निवासी- 124, ग्राम कचारा, तहसील अटरु, जिला बारां, राजस्थान - 325218

3. श्रीमति बरफा बाई पत्नि कन्हैयालाल, निवासी- 103, धाकड बस्ती कचारा, तहसील अटरु, जिला बारां राजस्थान- 325218

(सहऋणी)

(अप्रार्थीगण)

किस्म मुकदमा - प्रा0 पत्र सरफेसी एक्ट, 2002 (विविध)

मुकदमा नम्बर:- 2/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इंनिशिवल्स जज	नम्बर व ता. अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25/3/23	<p>जय्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 "ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड" जिसका पंजीकृत कार्यालय 4^{थी} फ्लोर, फेज II, स्पेन्सर प्लाजा, नं. 769, माउण्ट रोड, अन्ना सलाई, चैन्नई-600002, तमिलनाडू, तथा शाखा कार्यालय- होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डीसीएम, जयपुर-302019 राज. में स्थित व कार्यरत है, द्वारा पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे।</p> <p>उक्त प्रकरण में अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण का निस्तारण करने बाबत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी से लोन की सम्पूर्ण राशि प्राप्त की जा चुकी है। अतः प्रकरण का निस्तारण किये जाने का आदेश फरमावे।</p> <p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया एवं सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।</p> <p>चूंकि प्रार्थी/बैंक द्वारा अप्रार्थी/ऋणी से लोन की सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर ली है तथा प्रकरण में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर झोप किया जाता पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील अभिलेख में प्रविष्ट हो। आदेश सुनाया गया।</p>	<p>नि 3</p>

जिला मजिस्ट्रेट
बारां